File No. 8-07/2019-FC

Sub: Diversion of 115.874 ha. of forest land in favour of M/s Jaiprakash Associates Ltd. for proposed diversion of forest land at village Kota in Tehsil Robertsganj, District Sonbhadra for JP Super cement plant & it's township (a unit of Jaiprakash Associates Ltd. Sector 128, Noida) in District Sonbhadra , State Uttar Pradesh.

1. The above stated agenda item was considered in FAC meeting on 23.04.2020.

2. Observations and Decision of FAC meeting held on 23.04.2020 :

I. During deliberations on the matter the FAC **observed** following;

a. A meeting was held with officials of Regional Office, Lucknow, State Forest Department and user agency in Ministry on 06.08.2019 for detailed discussion on the said proposal.

b. The observations of said meeting were communicated to the State Government of Uttar Pradesh vide Ministry's letter of even no. dated 28.08.2019.

c. The State Government of Uttar Pradesh vide their letter No.565/81-2-2020-800(162)/2018 dated 04.03.2020 forwarded point-wise reply as under:

S. No.	**Observations raised by the MoEF &CC**	**Reply submitted by the Nodal Officer (FCA) Govt. of UP**
1.	The State Government should clarify that what action has been taken for unauthorised use of	जे0 पी0 एसोसिएटस लि० द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने केसंबद्ध में कतिपय 1 व्यक्ति द्वारा सी0 इं0 सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिसपर सी0 इं0 सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो सेरिपोर्ट / आख्या मांगी गयी। प क्षोद्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करनें कं उपरान्त सी0 इं0 सी0 द्वारा अपनीसंस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नईं दिल्ली को प्रेषित किया गया । जिसकासंज्ञान लते हुए,उ 0 प्र 0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिटसं ख्या-2469-2009 दाखिल की गयी, जिसे मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन 0 जी0 टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाईकरने का निर्देश दिया गया । जि सके क्रम में मा0 राष्टीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली द्वारा एम 0 ए 0 नं01166/2015 में दिनांक 04.05.2016 कोजे0 पी0 एसोसिएटस लि0 से सम्बन्धित कूल 1083.203 हे0(जिसमें से ओबरावन प्रभाग का 599.183 हे0 है) क्षेत्र को वन विभाग कं पक्ष में निर्णयपारितकिया गया । मा0 राष्टीय हरित न्धायाधिकरण, नई दिल्ली कं आदेश दिनाक–04.05.2016 कं अनुपालन में ग्रामकोटा, ओबरा पनारी कं सम्बन्ध में पूर्व मे जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्प्रभावी मानते हुये कूल 1083.203 हे0 क्षेत्र को स म्मिलितकरते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या-1142-14-2-2016-20(4)/2016 दिनांक

	forest land;	23.06.2016 द्वारा कूल 12440.413 हे0, ग्रामओबरा पनारी मेँ विज्ञप्ति संख्या 1141/14.2.2016-20(3)/ 2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा कूल 1912.751 हे0, सोनभद्र वनप्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या 1 139/14-2-2016-20(1)/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा कुल 398.5570 हे0 तथा केंमूर वन्य जीवप्रभागी मीरजापुर के ग्राम मरकुंडी मेँ विज्ञप्ति संख्या 1192/14-2-2016-20(5)/2016 दिनांक 10.06.2016 द्वारा कुल 904.768 हे0 क्षेत्र का पुन : भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी कियागया। मा0 राष्टीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली कं आदेश दिनाक 30.05.2016 केअनुपाल में मे0 जेपी0 पी0 एसोसि एट्रस लिमिटेड, डाला द्वारा जै0 पी0 सुपरप्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115. 874 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण कापूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके क्रम में प्रस्ताव उच्च स्तर परप्रे षित किया जा चुका है। यह भी अवगत कराना है कि MoEF&CC guideline No. 11-42/2017-FC dated 29.01.2018; (activities which constitutes violation of provision of Forest (Conservation) Act, 1980 and Rules made thereof and guideline issued in this behalf by user agency and quantum of penalty to be imposed-regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under Forest (Conservation) Act, 1980). 3.Accordingly the ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendation of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purpose in violation of provision of forest (Conservation) Act ,1980, Rules made their of and guideline issued for time to time to implement FC act and Rules; E. In cases where (forest land) has been changed to (non-forest land) in government records; If the violation is not attributable to the user agency, no penalty should be imposed.
2.	What action has been taken against erring officers who has issued orders for use of forest land for non-forestry purpose in	2008 में में0 जे0 पी0 एसोसिएटस लि0 के क्लेम के अधार पर वन वनदोवस्तअधिकारी जिलाजज द्वारा अपने न्यायलय में नये सिरे से वादों की सुनवाईकरते हुए प्रश्नगत क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया था, प्रश्नगतक्षेत्र के सम्बन्ध में माo एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.05.2016 कोवन विभाग के पक्ष में नि र्णय पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रश्नगतक्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धा रा 20 की विज्ञप्तिजारी किया तथा मा'0 एन 0 जी0 टी0 नई दिल्ली के आदेशदिनांक–30.05.2016 के अनुपालन में में0 जे०पी'0 एसोसिएटस लि0 द्वारा वनभूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है । प्रश्नगत वन भूमि काउपयोग करनें हेतु प्रभाग स्तर से कोई आदेश निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं ।इसके अतिरिक्त वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या'1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

	gross violations of Forest (Conservation) Act, 1980;	
3.	Whether all court orders pertaining to the project has been complied with or not?	विषयक प्रकरण राम्बन्ध के संबंध मे मा0 एन 0 जी०टीं0,नई दिल्ली के आदेशदिनांक 04.05.2016 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष मेंअमलदरामदकराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्तिजारी किया जा चुका है । मा'0 एन 0 जी0 टी०, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.05.2016 के अनुपालन में में0 जै0 पी० एसोसिएट्रस लि० द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का भूमिहस्तांतरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।
4.	It has come to the notice that the present project will be transferred to M/s Ultra Tech Cement Ltd. State Government need to clarify why the permission	इस सम्बन्ध मे विस्तृत आख्या वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव मे संलग्न मुख्यवन सरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी में इंगितप्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के पत्रांक 304/ओबरा/15 भृ0 ह 0, दिनांक 28.07.2018 में सन्नहित है । **(Pg.539-541/c).**

	for diversion of forest land is not being taken in the name of M/s Ultra Tech Cement Ltd.	

d. As per the Site Inspection Report submitted by the Regional Office, MoEF&CC, Lucknow of the proposal it was observed that some violation of section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980 has taken place during 2007 onwards.

e. This proposal of 115.874 ha is part of 1083 ha forest land decided in favour of Department of Forest, Uttar Pradesh by Hon'ble National Green Tribunal in MA no. 1166 of 2015, 1169 of 2015 in WP(C) No. 2020 of 1995 and MA no. 1164 of 2015 in WP 202 of 1995 and Original Application No. 494/2015 in CWP no. 130/2011. The legal issues related with above mentioned matter and operative portion of the order 4th May 2016 of Hon'ble NGT was also briefed to the members of the FAC.

f. Issues pertaining to DSS analysis regarding difference in extent of area of the proposal that the proposal is of 115.874 ha whereas area calculated through the shape/kml file is 119.68 ha, on proposed Compensatory Afforestation site already pre planting activities are visible and timeline of the proposal shows construction activities after 2007 also.

g. It was also observed that the answer provided by the State Government are not clear regarding compliances of specific orders of Hon'ble NGT , action initiated against the erring officials for violation of provisions of FCA,1980, payment of compensatory levies on remaining forest land approximately 968 ha in extent etc.

II. Decision of FAC:

FAC after through deliberation & discussion with Nodal officer (FCA), Uttar Pradesh and DDG (RO, Lucknow) **deferred** the proposal and sought following from the State Government:

i. The detailed chronology of the events which are vital to decide the issues pertaining to violation of FCA, 1980.

ii. Issue of violation of Forest (Conservation) Act, 1980 noted in Site Inspection Report of the Regional Office, MoEF&CC, Lucknow.

iii. The detailed clarification on responsibility with regard to the unauthorized use of

forest land.

iv. Details of action initiated by the State Government in compliance of the orders issued by the Hon'ble NGT in this matter.

v. Issues pertaining to DSS analysis.

vi. The relevant copies of the orders of Hon'ble Court with regard to present proposal.

3. The said decision of FAC has been communicated via email to State Govt., Uttar Pradesh vide Ministry letter dated 18.05.2020.

4. In reference of this the State Govt., Uttar Pradesh vide its letter dated 18.06.2020 has replied as under:

S. No.	**Observations raised by the MoEF& CC**	**Reply submitted by the Nodal Officer (FCA) Govt. of UP**
1.	The detailed chronology of the events which are vital to decide the issues pertaining to violation of FCA, 1980.	● उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 954 में चुर्क व डाला सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की गयी थी। ● जनपद-सोनभद्र (जो पूर्व मे मिर्जापुर जिले का भाग था) के ओबरा वन प्रभाग के ग्राम-कोटा (डाला) में राज्य सरकार द्वारा सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना की गई थी, जिसे वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन को हस्तान्तरित कर दिया गया। ● जनपद-सोनमद्र (पूर्व मे मिर्जापुर) के परगना-अगोरी में जमीन्दारी 1 जुलाई 1953 को टूटी और उस समय जो किसी की भूमिधारी थी तथा जो मौके पर खेती होती थी व आबादी को छोडकर शेष भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई और चूँकि परगना-अगोरी में जमीन्दारी विनाश अधिनियम की धारा 117 (1) की विज्ञप्ति नहीं हुई थी, इसलिये राज्य सरकार ने शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर 1953/16 नवम्बर 1953 द्वारा कैमूर पर्वत के दक्षिण (जहा ग्राम-कोटा, पडरछ व पनारी पडता है) में स्थित समस्त भूमि को प्रबन्ध के लिये वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया। ● उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1997-78 में ग्राम-कोटा, वर्ष 1969 में ग्राम-पनारी (ओबरा पनारी) तथा वर्ष 1970 में ग्राम-पड़रछ में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 की विज्ञप्ति हुयी। ● वर्ष 1982 में वनवासी सेवा आश्रम के संस्थापक श्री प्रेम भाई नें मा0 उच्चतम् न्यायालय में 1061/1982 में एक जनहित याचिका दाखिल किया, जिसमें मा0

		न्यायालय ने दिनांक 20.11.1986 को कैमूर पर्वत माला के दक्षिण भूमि क्षेत्रों के भौमिक अधिकार एवं सर्वे सेटिलमेंट करनें का आदेश पारित किया। ● मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे व रेकार्ड कार्यवाही में ग्राम-कोटा, पडरछ, व पनारी की काफी भूमि सर्व आपरेशन की कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय (अपर जिला जज) द्वारा भूमि के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा जारी भारतीय वन अधिनियम की विज्ञप्ति को सही मानते हुये, सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत की गई। जिसके आधार पर तत्कालीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा सुरक्षित वन के पक्ष मे निर्णीत भूमि को सुरक्षित वन के खाते में दर्ज किया। जिसके क्रम में ग्राम-कोटा व पनारी की भूमि के सम्बन्ध में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 की कार्यवाही चल रही थी। ● उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के लगातार घाटे में चलने के कारण उसे Sick Industries घोषित कर उसे दिनांक-08.12.99 को Wound Up कर लिक्विडेशन के अधीन कर दिया गया तथा आफिसियल लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। | ● उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन डाला की फैक्ट्री के Wound Up होकर उसकी परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिए कम्पनी कोर्ट लिक्विडेशन के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई। ● उ 0 प्र 0 रा0 सीमेन्ट कारपोरेशन के परिसमापन के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों के केता को दी जाने वाली छूट के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश शासन के राज्य औद्योगिक विकास अनुभाग- 1 द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0-3623/77-1-2008-15 (बी.आई.एफ.आर.)/ 92 दिनोक-10.10.2006 को मा0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रस्तर 9, जो कम्पनी के पक्ष मे लाइमस्टोन के पट्टे का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में था, उसमे वन क्षेत्र में पडने वाले लीज के क्षेत्र के सम्बन्ध मे निम्न तथ्य अंकित किये गये थे :- **"यह उल्लेखनीय है कि यदि भूमि वन मे अवस्थित है, उसके केता को नवीनीकरण के सम्बन्ध मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों तथा समय- समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार प्रस्ताव आने पर सक्षम स्तरों से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त कर**

वाछित शुल्क प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। यदि भूमि सैंक्चुअरी मे अवस्थित है उसके गैरवानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु अनुमति निर्धारित प्रकिया के अनुसार उच्चतम् न्यायालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर दी जायेगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि जो हिस्से वन भूमि मे पडते है कि उनको नवीनीकरण भारत सरकार की पूर्व न से तथा वांछित शुल्क के भुगतान के पश्चात ही सम्मव है। अतः यथा समय अधिनियम के तहत एवं मा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान मे रखते हुये वन विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जानी होगी। यह उल्लेख भी समाचीन है कि राज्य सरकार की ओर से पट्टों के नवीनीकरण के सम्बन्ध मे कोई भी |वित्तीय छूट का उल्लेख नहीं है। इस प्रकरण में भू-तत्व एवं खनिकर्म विमाग तत्पश्चात कुछ प्रकरणों मे वनविमाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लि0 (परिसमापनाधीन) की इकाईयों के विकय से सम्बन्धित अनुतोष एवं रियायतें में आच्छादित भूमि में से जो भूमि वन मे अवस्थित है उनके क़ेता फर्म के हस्तान्तरण के सम्बन्ध मे देय राशि के भुगतान के सम्बन्ध मे वन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगें।"

- उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट ने दिनांक-11-10-06,/12-10-06 को जे0 पी0 ऐशोसिएट्स के पक्ष मे विकय की पुष्टि कर दिया।

  मा0 उच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-1 द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ज्ञापन सं-3623/77-01-2008-15 (बी.आई.एफ.आर) /92 दिनांक-10.10.2006 पर मा0 उच्च न्यायालय कम्पनी कोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक-11-10-06 के परिपेक्ष्य में जे0 पी0 एशोसिएट्स को लीज के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये था, जिसे नये सिरे से लीज हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र मानकर उस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 व मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा टी0 एन 0 गोडावर्मम बनाम भारत सरकार की याचिका में पारित निर्णय दिनांक 12-12-1996 के अनुसार कार्यवाही की जाती किन्तु जे0 पी0 ऐशोसिएट्स द्वारा लीज के नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र न देकर उ 0 प्र/रा0 सीमेन्ट कारपोरेशन की लीज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली व मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार हुई सर्वे की कार्यवाही में ग्राम-कोटा, पडरछ व पनारी, मारकुण्डी व मकरीबारी की कुल 1083.203 ह 0 सुरक्षित वन के पक्ष में निर्णीत भूमि को वन संरक्षण अधिनियम की Applicability को समाप्त करनें तथा लीज लेने में वन संरक्षण अधिनियम के

		अन्तर्गत दी जाने वाली आवश्यक देयताओं को बचाने के उद्देश्य से सुरक्षित वन के प्रस्ताव से पृथक कराने के सम्बन्ध मे में0 जे0 पी0 एसोसिएट्स, लि0 द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में ग्राम-कोटा में वाद संख्या 180/353,//2007 द्वारा 27.854 हे0, वाद संख्या 181/354/2007 द्वारा 210.056 हे0, वाद संख्या 386/388/2007 द्वारा 18.272 हे0, ग्राम कोटा पडरछ में बाद संख्या 395/397/ 2007 द्वारा 221.955 है0 व 51.064 हे0, ग्राम पनारी में वाद संख्या 386 /398//2007 द्वारा 70.012 हे0, ग्राम-मारकुण्डी में वाद संख्या 398 /400 / 2007 द्वारा 253.176 ह 0 तथा ग्राम-मकरीबारी में वाद संख्या 399/401/2007 द्वारा 230.844 हे0 अर्थात कुल 1083.203 हे0 क्षेत्र पर वर्ष 2007 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 9/11 के तहत वन भूमि के सम्बन्ध मे वाद प्रस्तुत कर दिया गया। कुल 1083.203 हे0 क्षेत्र में से ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा, ओबरा पनारी व पड़रछ में कुल 599.183 हे0, सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में कुल 230.844 ह 0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के ग्राम-मरकुण्डी में कुल 253.176 हे0 क्षेत्र सम्मिलित है। ● मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनोक-20.11.1986 के कम में उपरोक्त कुल 1083.203 है0 क्षेत्र में से सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम-मकरीबारी का 230. 844 ह 0 छोड़कर शेष क्षेत्र के सम्बन्ध में वन वन्दोवस्त अधिकारी सोनभद्र द्वारा पूर्व में (वर्ष 1993-94 व वर्ष 1998-99) ही वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया जा चुका था, जिसकी पुष्टि अपर जिला जज द्वारा की गयी। ● परन्तु जे0 पी) एसोसिएट्स लि0 की तरफ से जनवरी 2007 में कुल 1083.203 है0 क्षेत्र के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से मा० एफ 0 एस 0 ओ 0 न्यायालय में 9/11 के अन्तर्गत प्रस्तुत उपरोक्त वादों में वन वन्दोवस्त ,अधिकारी ,सोनमद्र द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञाप्ति से पृथक करनें का आदेश पारित किया गया। जिसकी पुष्टि जिला जज द्वारा भी कर दिया गया था। ● वन वन्दोवस्त अधिकारी, सोनभद्र द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 180/353 व 181/354 में परित निर्णय दिनोक-19.09.2000 तथा मा0 जिला जज सोनभद्र द्वारा सिविल मिसलिनियस अपील संख्या 61/2007 व 63/2007 जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0 बनाम् वन विभाग में पारित निर्णय दिनोक-07.01.2008 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करनें के सम्बन्ध में प्रस्ताव उ 0 प्र 0

		शासन को प्रस्तुत किया गया। ● उ 0 प्र 0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-3792/14-2-2008 दिनोक-12.09.2008 से जिला शासकीय अधिवक्ता व न्याय विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में मा0 उच्च न्यायलय में याचिका प्रस्तुत करनें के अनुमति नहीं दी गयी तथा जनपद-सोनभद्र में धारा 20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव शासन को 02 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ● उ 0 प्र 0 शासन के उक्त निर्देश के कम में वर्ष 2008 में जे0 पी0 एसोसिएट्स के क्लेम के आधार पर धारा-4 की विज्ञप्ति से पृथक किये गये क्षेत्रों को छोडकर विज्ञप्ति संख्या-4952/14-2-2008-20(17)/2008 दिनोक-25.11.2008 से ग्रामन-कोटा तथा विज्ञप्ति संख्या-4953|/14-2-2008-20(17)/ 2008 दिनांक 25..11. 2008 से ग्राम-ओबरा पनारी तथा विज्ञप्ति संख्या-4951/14-2-2008-20(16)/ 2008 दिनोक-25.11.2008 से ग्राम मकरीबारी का भारतीय वन अधिनियम 927 के अन्तर्गत धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। । ● जे0 पी0 एसोसिएट्स लिए द्वारा अनाधिकृत रुप से वन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में कतिपय व्यक्ति द्वारा सी0 एई 0 सी0 में शिकायत दर्ज करायी, जिसपर सी0 ई 0 सी0 द्वारा सम्बन्धित पक्षो से रिपोर्ट /आख्या मांगी गयी। पक्षो द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करनें के उपरान्त सी0 ई 0 सी0 द्वारा अपनी संस्तुति मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए, उ 0 प्र 0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट संख्या-2469/ 2009 दाखिल की गयी, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन 0 जी0 टी0 न्यायालय, नई दिल्ली को सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जिसके कम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम 0 ए 0 नं0 1166/2015 में दिनांक-04.05.2016 को जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0 से सम्बन्धित कुल 1083.203 हे0 (जिसमें से ओबरा वन प्रभाग का 599.83 है0 है) क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया। | ● मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनाक-04.05.2016 के अनुपालन में ग्राम-कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में पूर्व मे जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्प्रभावी मानते हुये कुल 1083.203 ह 0 क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या-1142 / 14-2-2016-20(4) /

		2016 दिनोक-23.06.2016 द्वारा कुल 12440.413 हे0, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञप्ति संख्या-1141 /1 4-2-2016-20(3) / 2016 दिनोक-10.06.2016 द्वारा कुल 1912.751 है0 सोनभद्र वन प्रभाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या-1139/14-2- 2016-20(1) /2016 दिनोक-10.06.2016 द्वारा कुल 398.5570 है0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागी मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या-1192/ 14-2-2016- 20 (5)/2016 दिनोक-10.06.2016 द्वारा कुल 904.768 हे0 क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। ● मा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनोक-30.05.2016 के अनुपाल में मे0 जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0, डाला द्वारा जे0 पी0 सुपर प्लान्ट व आवासीय क्षेत्र स्थापना हेतु 115.874 ह 0 वन भूमि हस्तान्तरण का पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था, जिसके कम में प्रस्ताव उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा चुका है।
2.	Issue of violation of Forest (Conservation) Act, 1980 noted in Site Inspection Report of the Regional Office, MoEF&CC, Lucknow.	भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एफ०सी0 डिविजन,डिविजन, इन्दिरा पर्यावण भवन, नई दिल्ली के कार्यालय के पत्र संख्या-8-07 / 2019-एफ 0 सी0 दिनाक-25.03.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में श्री के0 के0 तिवारी, उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय) द्वारा दिनाक-16.04.2019 को प्रश्नगत क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया तथा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर आंच अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक-एफ 0 नं0-8 ए/ यू0 पी0 / 09//1177/2019/ एफ 0 सी0 / 206 दिनाक 24.05.2019 द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:- Page ~2 **Building and other infrastructure**: The Cement plant exists at the site measuring 95.070 hectare (including connecting road to State Highway no. 5and Green belt area) which is reported to be constructed during 2007. In addition 20.804 hectare of the land is under township and ancillaries comprising 1326 Residential quarters, hospital, guest house, electric substation, Play Ground, Schools and other structures. The present proposal seeks diversion of 95.070+20.804=115.874 hectare of Forest land, as mentioned above. Concrete Pillars have been erected around forest land proposed for diversion. A High tension line

		passes through proposed Forest Area. Page-5/6 **Dalla Cement Complex was developed by erstwhile U.P. Cement Corporation Ltd. (UPSCCL) since the year 1972. The complex comprises of Cement manufacturing Unit, limestone mines, residential colony, other infrastructure facilities etc. M/s Jaiprakash Associates Limited acquired the assets of UPSCCL in competitive bidding under supervision of Hon'ble High Court Judicature Allahabad. Subsequently JP Super Cement Plant (A Unit of Jaiprakash Associates Limited) was established in the land which was earlier in possession of UPSCCL (In Liquidation) and where crusher and ancillary units were in operation.** **Page ~ 8 (Point 8)** **Violation of Forest (Conservation) Act, 1980:-** The exclusion of Forest land in question from purview of Section 4 and Section 20 of Indian Forest Act by State authorities and construction of JP Super Cement plant in the year 2007 without obtaining permission under FC Act is in violation of the provisions of Conservation Act, 1980. Development of Township on a forest land was done in the year 1976 i.e. prior to enactment of Forest Conservation Act, 1980. Though the Cement plant is not in operation but existence of residential quarters of company's employees and continued use of other infrastructures "without Forest Clearance is also in violation of FC Act. The above violations have taken place prior to submission of application/proposal of forest diversion which needs examination in the light of recent guidelines of the Ministry regarding violations of FC Act issued vide Letter no.11-42-2017(FC) dated 29.01.2019. श्री के0 के0 तिवारी, उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय) के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 115.874 हे0 भूमि में से 20.804 हे0 क्षेत्र में वर्ष 1976 में (वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व) निर्माण कार्य किया गया है परन्तु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 के बाद किया गया है। शेष 95.00 है0 भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपरान्त नया निर्माण कराया गया है। जिसके सम्बन्ध में मे0 जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा अपने पत्र दिनोक-29.05.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र न्यायिक प्रकिया से (एफ 0 एस 0 ओ 0/ डी0 जे0 न्यायालय द्वारा) धारा 4 से पृथक होकर, राजस्व अभिलेखो में राजस्व भूमि दर्ज होने के बाद, में० जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0 द्वारा किया गया है। जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रलय नई दिल्ली का पत्र संख्या-11 -42/2017-FC दिनांक-29.01.2018 में वर्णित तथ्य –"Activities which constitutes violations of provisions of Forest Conservation Act 1980 and rules made thereof and guidelines issued in this

		behalf, by user agencies and quantum of penalty to be imposed ~ regarding common guideline to be followed by FAC/REC while considering the proposal under FC Act 1980". उकत गाइड लाइन मे FCA 1980 के उलंघन निम्न प्रकार वर्णित किया है - 3. Accordingly, the Ministry has decided to adopt following guidelines while imposing penalty in various cases, on the recommendations of FAC/REC after due deliberation in its meeting, for use of forest land for non-forestry purposes in violation of the provision of the Forest (Conservation) Act 1980, Rules made thereof and guidelines issued from time to time to implement FC Act and Rules: E. In cases where 'Forest land' has been changed to 'non forest land' in government records: If the violation is not attributable to the user agency, no penalty shall be imposed." :
3.	The detailed clarification on responsibility with regard to the unauthorised use of forest land.	वर्ष 2007 में में0 जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0 के क्लेम के आधार पर वन वन्दोवस्त अधिकारी / जिला जज द्वारा अपने न्यायलय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक्त कर दिया गया था, जे0 पी0 एसोसिएट्स लिए द्वारा सम्बन्धित भूमि का उपयोग धारा 4 से पृथक किये जाने के उपरान्त ही किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 एन 0 जी0 टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनोक-04.05.2016 को वन विभाग के पक्ष में निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुपालन में प्रष्नगत क्षेत्र को सुरक्षित वन के पक्ष में अमलदरामद कराते हुए, धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया गया। ।
4.	Details of action initiated by the State Government in compliance of the order issued by Hon;ble NGT in this matter.	मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनाक-0405.2016 के अनुपालन में ग्राम-कोटा, ओबरा पनारी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व मे जारी धारा 20 की विज्ञप्ति को निष्प्रभावी मानते हुये कुल 1083.203 हे0 क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए ओबरा वन प्रभाग के ग्राम कोटा में विज्ञप्ति संख्या-1142/14-2-2016-20(4)/ 2016 दिनोक-23.06.206 द्वारा कुल 12440.143 है0, ग्राम ओबरा पनारी में विज्ञप्ति संख्या-1141/44-2-206-20(3)/ 2006 दिनोक- 10.06.2016 द्वारा कुल 1912.५८ ह 0, सोनमद्र वन प्रमाग के ग्राम मकरीबारी में विज्ञप्ति संख्या-1139/ 14-2-2016-20(1)/ 2016 दिनाक-10.06.2016 द्वारा कुल 398. 5570 है0 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभागीय मीरजापुर के ग्राम मरकुण्डी में विज्ञप्ति संख्या-1192/ 14-2-2016- 20 (5)/2016 दिनाक-10.06.2016 द्वारा कुल 904.768 हे0 क्षेत्र का पुनः भारतीय वन अधिनियम 927 की धारा 20 की विज्ञप्ति जारी किया ।
5.	Issues pertaini	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या-एफ 0 नं0 8/07 / 209-

	ng to DSS analysis.	एफ 0 सी0 दिनांक-25.03.2019 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपलब्ध करायी गयी गैर वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी थी:- (III) Out of total 115.874 ha area as provided by the State Government for Compensatory Afforestation land after anaylsis through DSS its found that 26 ha CA is falling in water bodies. Thus an additional CA area of 26 ha may be provided. जिसके कम में115.874 ह 0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण केसापेक्ष अतिरिक्त सी0 ए 0 वृक्षारोपण हेतु डालारेंज के परासपानी कं0 नं0 3 में 26 है0 क्षेत्रचयनित कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र,जियोरिफरेन्सड मानचित्र तथा सर्वे आफइण्डिया का का टोपोशीट प्रेषित किया गयाथा। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध मेंदिनोक-23.04.2020 को भारत सरकार केकार्यालय में आहूत बैठक में अवगत करायागया है कि उक्त 26 है0 क्षेत्र जो अतिरिक्तसी0 ए 0 वृक्षरोपण हेतु चयनित किया गया है,उस क्षेत्र का DSS Analysis करने पर ऐसाप्रतीत हो रहा है कि प्रश्नत क्षेत्र पर पहले से हीपेड़ पौधे मौजूद हैं तत्कम में प्रश्नगत क्षेत्र कापुनः मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमेंपाया गया कि उक्त -26 हे0 क्षेत्र में कहीं-कहींपर छोटे-छोटे घास-फुस, झाड़ी किस्म के पौधहैं,जिसमें वृक्षरोपण किया जा सकता है। अतःप्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित 115.874 है0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण केसापेक्ष अतिरिक्त सी0 ए० वृक्षारोपण हेतु डालारेंज के परासपानी कं0 नं0 3 में 26 हे0 क्षेत्र पूर्वमें चयनित किया गया वह क्षेत्र वृक्षारोपण हेतुउपयुक्त है, क्षेत्र का फोटोग्राफ संलग्न है।
6.	The relevant copies of the orders of Hon'ble Court with regard to present proposal.	वर्ष 2007 में में0 जे0 पी0 एसोसिएट्स लि0 के क्लेम के आधार पर वन वन् वंदोवस्त अधिकारी / जिला जज द्वारा अपने न्यायलय में नये सिरे से वादों की सुनवाई करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र को धारा 4 की विज्ञप्ति से पृथक कर दिया गया था, से सम्बन्धित निर्णय की प्रति तथा मा0 एन 0 जी0 टी0 के का आदेश दिनोक-04.05.2016 व 30.05.2016 की प्रति संलग्न है।

5. The reply of State Government of UP regarding DSS issues has been again checked by DSS analysis team and the observations of DSS analysis team are as under:

(i) In the additional CA land(26 ha.), only pre-planting operation such as trenching is visible and the same can be verified from the high resolution Google Earth satellite

Imagery dated 12/03/2019&22/11/2017.

(ii) Based on Google Earth, the canopy density of the proposed additional CA site is a mix of Open Forest and Scrub land.

6. **The directions of Hon'ble NGT in OA No. 494 of 2015 NGT order dated 04.05.2016dated 04.05.2016 is as under:**

a. *The orders passed by the Forest Settlement Officers for exclusion 1083.231 hectares of the land notified under Section 4 of Indian Forest Act are declaredand void as the settlement proceedings directed by the Supreme court was finalized several years prior to M/s. JAL obtained right over the land and also because the Forest Settlement Officer or the Additional District Judge has no power to exclude the said lands from the notification issued under Section 4 which has already been finalized. The fact that no notification under Section 20 in respect of the said land were issued by the state, as against the unambiguous direction of the Supreme Court and the solemn assurance made to the Supreme Court by the state, and as per the judgement on determination of the appeal the order of the Additional District Judge would become final and is an order passed under the Forest Act, will not empower the Forest Settlement Officer or the Additional District Judge to entertain any subsequent application in respect of already settled lands. In view of the declaration by the Hon'ble Supreme Court in Banwasi Seva Ashram case dated 20th November, 1986 the order of the Additional District Judge would be final and the Government had to implement the order. The failure of the State Government to notify the said lands as reserved forest would not enable the State Government or the Forest Settlement Officer to exclude the very same land, when earlier it was found that the lands cannot be excluded and the order has already become final and nobody exercised the liberty reserved by the Supreme Court in the judgment to approach the court if directions are necessary. Therefore, renewal of the mining lease, in favour of M/s. JAL can only be after obtaining prior approval of Central Government as provided under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980 and that too on payment of NPV and other payments warranted under law. In respect of 256.176 hectares which form part of the Kaimur Wildlife Sanctuary additionally prior approval of the National Board for Wildlife and the Hon'ble Supreme Court is necessary to renew the lease.*

b. *The State of U.P. shall cancel all mining leases whether fresh or renewal and all other non-forestry activities on the areas notified under Section 4 of the forest Act for which settlement rights have been finalized pursuant to the Judgement in Banavasi Seva Asram case dated 20th November, 1986 and shall ensure that there is no non forest activity including mining in any such land without the permission/approval of the Hon'ble Supreme Court.*

c. *The notification under Section 20 of Indian Forest Act shall be issued immediately in respect of the lands falling in Tehsil Dudhi and Robertganj, in accordance with the findings in this judgement modifying the one issued earlier, including all the lands for which settlement proceedings were carried out as per the Judgement dated 20th November, 1986 and become final.*

d. *The State of UP shall take appropriate action to protect and conserve the forest and prevent any violation of the provisions of FC Act and the rules. The state shall also take appropriate action against all the officers found liable for the failure to take action including non publication of the notification under section 20 of the Forest Act as directed by the Supreme Court and thereby prevented the implementation of the directions of the Supreme Court.*